

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 81] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 5, 1981/फाल्गुन 14, 1902
No. 81] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 5, 1981/PHALGUNA 14, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के
रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

विस्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मार्च, 1981

सीमा-शुल्क

सा. का. नि. 169 (अ) .—केंद्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962
(1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते
हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकीहित में ऐसा करना आवश्यक है, मृत-तपित
मेग्नेसाइट को, जब भारत में उसका आयात किया जाए, उस पर उदग्रहणीय उत्तने
सीमा शुल्क से, जो कि सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची
में विनिर्दिष्ट से मूल्यानुसार 40 प्रतिशत अधिक है, छूट देती है ।

2. यह अधिसूचना 28 फरवरी, 1982 तक, जिसके अन्तर्गत यह तारीख भी सम्मिलित है, प्रवृत्त रहेगी।

[सं. 22/फा. सं. 235/163/80-सी. शृ.-1]

क. चन्द्रमौलि, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th March, 1981

CUSTOMS

G S.R. 169(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts deadburnt magnesite, when imported into India, from so much of that portion of the duty of customs leviable thereon which is specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), as is in excess of 40 per cent ad-valorem.

2 This notification shall be in force upto and inclusive of 28th February, 1982

[No. 22/F. No. 355/163/80-Cus. I]

K. CHANDRAMOULI, Under Secy.